Date – 21 July 2022

भारतीय नागरिकता

- गृह मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2021 में 6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी।
- वर्ष 2020 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 85,256 थी और वर्ष 2019 में यह संख्या 44 लाख थी।

नागरिकता:

संवैधानिक प्रावधान:

- नागरिकता को संविधान के तहत 'संघ सूची' में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।
- संविधान 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियां भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) में दी गई हैं।

भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण:

- 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीकों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का समावेश शामिल है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019:

- इस अधिनियम ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिन्होंने 2015 से पहले भारत में प्रवेश किया था, के लिए नागरिकता में तेजी लाने के लिए कानून में संशोधन किया।
- भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले उनके लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर पांच साल कर दिया गया है।

लोगों के नागरिकता छोड़ने के कारण:

सामान्य कारण:

- लोग बेहतर रोजगार और आवास की स्थिति के लिए अपने देशों से पलायन करते हैं और कुछ देश में जलवायु परिवर्तन या प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पलायन करते हैं।

ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू, 2020 के अनुसार:

- दुनिया भर में उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति जो जन्म के समय प्राप्त नागरिकता का त्याग करते हैं, वे अपराध दर में वृद्धि या देश में व्यापार के अवसरों की कमी के कारण ऐसा कर सकते हैं।
- अन्य कारकों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, जलवायु और प्रदूषण जैसे जीवनशैली कारक, करों सहित वित्तीय चिंताएं, परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर, और दमनकारी शासन से बचने के लिए प्रवास शामिल हैं।

भारत:

- नई पीढ़ी में, दूसरे देशों के पासपोर्ट रखने वाले कुछ भारतीय विदेशों में बसे पुराने भारतीय परिवार के साथ रहने का विकल्प चुन रहे हैं। कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों में, भारत छोड़ने वाले लोग कानून से भाग रहे हैं या कथित अपराधों के लिए कानूनी कार्रवाई के डर से भाग रहे हैं।
- आजादी के बाद का प्रवासी समुदाय नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिए भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन आजादी से पहले का प्रवासी आंदोलन पूरी तरह से अलग था, जिसमें मजबूर और गिरमिटिया मजदूरों को देखा गया।
- चूंकि भारत दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है, इसलिए किसी को दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है।

- जिन देशों में भारतीय लंबे समय से रह रहे हैं या जहां लोगों के परिवार या दोस्त हैं, उनके पास अधिक स्वचालित विकल्प होंगे, जैसे आसान कागजी कार्रवाई और अधिक स्वागत योग्य सामाजिक और जातीय वातावरण।

भारत में नागरिकता छोड़ने के तरीके:

स्वैच्छिक त्याग:

- यदि कोई भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का है, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है।
- जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालाँकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसे फिर से भारतीय नागरिकता मिल सकती है।

समाप्ति:

- भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। हालाँकि, यह प्रावधान तब लागू नहीं होता है जब भारत युद्ध में लगा होता है।

सरकार से वंचित:

- भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि;
- नागरिकों ने संविधान का अपमान किया है।
- धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की।
- युद्ध के दौरान नागरिक ने अवैध रूप से व्यापार किया है या दुश्मन के साथ संचार किया है।
- किसी भी देश में एक नागरिक को पंजीकरण या देशीयकरण के 5 साल के भीतर 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
- नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा है।

स्वदीप कुमार

भारतीय अल्पसंख्यक

- हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि धार्मिक और भाषाई समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति "राज्य-निर्भर" है।**

संबंधित याचिका:

- याचिका में शिकायत की गई है कि यहूदी, वहाबी और हिंदू धर्म के अनुयायी लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, पंजाब और उत्तर-पूर्वी राज्यों में वास्तव में अल्पसंख्यक हैं।
- हालांकि, वे राज्य स्तर पर 'अल्पसंख्यक' पहचान की कमी के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नहीं कर सकते हैं।
- कई राज्यों में हिंदू जैसे धार्मिक समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से गैर-प्रमुख और संख्या में कम हैं।

फैसला:

- भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है।
- एक मराठी अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के बाहर अल्पसंख्यक हो सकता है।
- इसी प्रकार एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हो सकता है।

- न्यायालय ने संकेत दिया कि एक धार्मिक या भाषाई समुदाय जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक है, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों के संचालन के अधिकार का दावा कर सकता है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक:

- वर्तमान में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है।
- टीएमए पाई मामले में सुप्रीम कोर्ट की 11-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले के बावजूद, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर की जानी चाहिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 अधिनियम की धारा 2 (सी) ने अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र को "बेलगाम शक्ति" दी।
- एनसीएम अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ वर्ष 1992 में एमसी एक वैधानिक निकाय बन गया, जिसका नाम बदलकर एनसीएम कर दिया गया।
- पहला वैधानिक राष्ट्रीय आयोग वर्ष 1993 में स्थापित किया गया था और पांच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- जैनियों को भी वर्ष 2014 में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 29:

- यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
- यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस लेख का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि लेख में 'नागरिकों के वर्ग' शब्द के इस्तेमाल में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 30:

- सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार होगा।

- अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (अनुच्छेद 29 के तहत) को नहीं।

अनुच्छेद 350 (बी):

- 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1956 ने इस अनुच्छेद को शामिल किया जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
- इस विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे।

स्वदीप कुमार